[भारत के राजपत्र के भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना प्रभाग)

नई दिल्ली, तारीख: , 2018

अधिसूचना

सा.का.नि.................. राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना संगठन दिल्ली से बाहर (रेडियोग्राफर) भर्ती नियम, 1986 और केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना दिल्ली (समूह "ग") परा-चिकित्सा साधारण प्रवर्ग भर्ती नियम, 1993 को, जहां तक उनका संबंध रेडियोग्राफर/एक्स-रे तकनीशियन के पदों से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में रेडियोग्राफर/एक्स-रे तकनीशियन के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना संगठन, रेडियोग्राफर/एक्स-रे तकनीशियन भर्ती नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर** : उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि** : उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता**: वह व्यक्ति,-

(क). जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या

(ख). जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है।

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति**: जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति**: इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किये गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गो, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है अथवा अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
रेडियोग्राफर/एक्स-रे तकनीशियन	15 * (2018) सीजीएचएस, बंगलूर -1 सीजीएचएस, चेन्नई – 2 सीजीएचएस, दिल्ली – 7 सीजीएचएस, हैदराबाद- 1 सीजीएचएस, जयपुर - 1 सीजीएचएस, मुंबई – 2 सीजीएचएस, पुणे – 1 * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', अननुसचिवीय, अराजपत्रित	स्तर 7 (44900-142400 रू0)	लागू नहीं

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो।
(6)	(7)	(8)	(9)
30 वर्ष से अधिक नहीं (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों	अनिवार्य: (i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड	लागू नहीं	दो वर्ष।

या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की दशा में आयु शिथिल करके 40 वर्ष तक और अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए आयु शिथिल करके 45 वर्ष तक की जा सकती है ।) **टिप्पण 1**: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है ।)	विश[illegible] से विज्ञान विषय सहित 12वीं कक्षा उत्तीर्ण ; (ii) मान्यता प्राप्त संस्थान से रेडियोग्राफी में डिप्लोमा ; (iii) किसी पंजीकृत अस्पताल से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा विनिर्धारित संबंधित क्षेत्र में दो वर्ष का अनुभव । **टिप्पण 1**: योग्यता में सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर छूट दी जा सकती है बशर्ते कि उम्मीदवार सुयोग्य हो । **टिप्पण 2**: अनुसूचित जाति और जनजाति के उम्मीदवारों के मामले में सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर अनुभव संबंधी अर्हताए शिथिलनीय है, यदि चयन की किसी अवस्था में नियुक्ति प्राधिकारी का यह विचारहो कि इन उम्मीदवारो के लिए आरक्षितरिक्त पदों को भरने के लिए इन जातियों के अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारोंके पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।		

भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती के की स्थिति में किस ग्रेड से प्रोन्नति या	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।

	प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।		
(10)	(11)	(12)	(13)
शतप्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा। टिप्पण 1 : एक या अधिक वर्ष की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर या लंबी बीमारी या अध्ययन अवकाश या किसी अन्य स्थिति में पदधारी की अनुपस्थिति के कारण रिक्ति को केंद्रीय सरकार के उन अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जा सकता है,- जो (क) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर समरूप पद धारक हों; और (ख) कॉलम (7) के अंतर्गत सीधी भर्ती हेतु निर्धारित अर्हता और अनुभव धारक हों। टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या केन्द्रीय या राज्य सरकार का विभाग में नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर वाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।	लागू नहीं।	विभागीय प्रोन्नति समिति (नियमितीकरण के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी: 1. अपर उप महानिदेशक (मुख्यालय), केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना - अध्यक्ष 2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी (मुख्यालय), केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना - सदस्य 3. प्रशासनिक अधिकारी, स्थापना (राजपत्रित) (मुख्यालय), केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना या केन्द्रीय सरकार के कार्यालय का समूह 'क' अधिकारी - सदस्य 4. अनुसूचित जाति/ जनजाति का कोई राजपत्रित अधिकारी - सदस्य	आवश्यक नहीं।

[सं. ए -12018/11/2015- सीजीएचएस-I]

(धर्मेन्द्र सिंह)
अवर सचिव भारत सरकार

सेवा में
प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, रिंग रोड, मायापुरी, नई दिल्ली